रोशनदीन गौरी बनाम स्टेट

प्रकरण संख्या 334/2021 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
12.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादी रोशनदीन गौरी की माता का नाम मरिया है व पिता का नाम इस्माइल खान है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रोशनदीन गौरी पुत्र मरिया के स्थान पर रोशनदीन गौरी पुत्र इस्माइल खां करवाना चाहता है। जो वादी का सही नाम है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए चक 1 जेडडब्ल्यूएम के खाता सं. 115/136 के प.नं. 130/387 कि.नं. 15, 16, 17/2, 23/1, 24, 25, प.नं. 131/387 कि.नं. 11, 17 ता 25, प.नं. 131/388 कि.नं. 5/1, 5/2 की 4.048 है. सांझा खाता की कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम रोशनदीन पुत्र मरीया तथा खाता सं. 115/136 के प.नं. 130/387 कि.नं. 7, 8, 13, 14, 17/1, 18, 23/2 की 1.518 है. सांझा खाता की कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम रोशनदीन पुत्र मरियां के स्थान पर रोशनदीन गौरी पुत्र इस्माइल खां दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 12.6.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.22 14:24:01 IST
Reason: SelfAttested